संख्या-20/2016/116/22-4-16-13जी/11टीसी

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 06 मार्च, 2016

विषय- वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष 08 कारागारों तथा 06 जनपद न्यायालयों में उपकरणों/कनेक्टिविटी उपकरणों की स्थापना कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि की अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2200/आधु-1/वी0का0/2015, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष 08 कारागारों तथा 06 जनपद न्यायालयों अर्थात कुल 14 वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों के लिए उपकरणों/कनेक्टिविटी हेतु शासनादेश संख्या-210/2015/1421/22-4-15-13जी/11टीसी, दिनांक 11.12.2015 द्वारा रू0 208.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे निक्सी/बीएसएनएल को उपलब्ध कराया जाना है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के अन्तर्गत अवशेष 08 कारागारों तथा 06 जनपद न्यायालयों अर्थात कुल 14 वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों के लिए उपकरणों/कनेक्टिविटी हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 2,00,00,000/-( रूपया दो करोड़ मात्र) में से रू0 1,00,00,000/-( रूपया एक करोड़ मात्र) निक्सी, नई दिल्ली एवं रू0 1,00,00,000/-( रूपया एक करोड़ मात्र) बीएसएनएल को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है तो आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-82/दस-2016, दिनांक 02 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-20/2016/116(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महाप्रबंधक, नेशनल इनफारमेटिक्स सेन्टर,सर्विसेज इंक, हाल नं0-2 एवं छठवां तल, एन0बी0सी0सी0 टावर, भीखा जी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-66
(4) मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल, भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ-226001।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।